बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0सं0–06/निदे0(DAJGUA)38–02/2025– 89

30/07/2026

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन में कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2702–अनुरक्षण एवं मरम्मति कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रू0) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव।

आदेश– स्वीकृत।

2– बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2702–अनुरक्षण एवं मरम्मति कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रू0) मात्र का पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

4– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जमुई होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24-07-26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– सं0सं0–06/निदे0(DAJGUA)38–02/2025–89 पटना,दिनाक– 30/07/2026

प्रतिलिपिः– अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24-07-26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– सं0सं0–06/निदे0(DAJGUA)38–02/2025–89 पटना,दिनाक– 30/7/2026

प्रतिलिपिः– अनुसूची के प्रतियों के साथ संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी/ संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/उप निदेशक(मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा ,अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी0)/लेखा शाखा/आई0टी0मैनेजर, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24-07-26

सरकार के सचिव

अनुसूचीः 53–प्रपत्र सं0–212

अनुदान

सं0.6 / निदे0 (DAJGUA)–38–02 / 2025

अनुदान / विनियोग

वृहत शीर्षकः– 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102 आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) (विपत्र कोड–44–2225021020203)

मांग संख्या– 44

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(44–2225021020203)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित हैं।(44–2225021020203)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्त्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाईयां।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्त्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संभावित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0203.2702–अनुरक्षण एवं मरम्मत	रू0 12500000	रू0 12500000	रू0 14310000	रू0 1810000	रू0 14310000	0203.3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन	रू0 10000000	रू0 10000000	रू0 8190000 कुलः–	रू0 1810000 1810000 (अठारह लाख दस हजार रूपये)	रू0 8190000

टिप्पणी– (क) स्तम्भ 1 और 7 में ऐसे लघु और उप–शीर्षक दिखायें जायं, जिनसे इकाई संबंधित हो।

(ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार पुनर्विनियोजित रकम को घटाकर, दिखाई जाय।

(ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।

(ध) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आंकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।

(ड.) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनविनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा–पूरा पीठ पीठ पर दिया जाय।

अन्य इकाइयों

24.07.24

सचिव
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना

(186)

अतिरिक्त/अनुदान
_____के लिए आवेदन–पत्र।
पुनर्विनियोग

ज्ञांप सं0 बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत ''मुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2702–अनुरक्षण एवं मरम्मति कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रू0) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु .....के क्रम में

..... स्वीकृति के लिए

..... को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान
_____ की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।
प्रस्तावित पुनर्विनियोग

व्ययन
_____ पदाधिकारी का पदनाम – संबंधित जिला अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी।

अतिरिक्त/अनुदान
_____ की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो– चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुख्य शीर्ष ज्ञांप सं0 बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 केन्द्र प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन में कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू0) के उपबंधित राशि में संभावित बचत राशि से ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–102–आर्थिक विकास, 0203–धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए)'' विपत्र कोड़– 44–2225021020203'' (मॉग संख्या–44) के अर्न्तगत 2702–अनुरक्षण एवं मरम्मति कुल ₹18.10 लाख (अठारह लाख दस हजार रू0) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित हैं।

09.07.25
सचिव,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग।

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।